

**हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल धर्मशाला के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017

भाग-एक

1 प्रस्तावना :-

(क) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम-2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहित प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्य एच0एस0ग0-4 (डी) 1-1/92/2 दिनांक 13.9.2004 के अनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को अधिकृत किया गया है। तदनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के धर्मशाला मण्डल के लेखाओं अवधि 1.4.16 से 31.3.17 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान श्री संदीप सेन अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद का कार्य किया गया।

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल धर्मशाला के लेखाओं अवधि 1.4.16 से 31.3.17 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण:-

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा सं0	राशि (₹) लाखों में
1	विविध अग्रिम की राशि समायोजन हेतु शेष	5 (क)	20.96
2	रख-रखाव की राशि वसूली हेतु शेष	6	365.87
3	विभिन्न आवासीय कलौनियों से जल प्रभार की राशि वसूली हेतु शेष	7 (क)	10.65
4	C/O GHS Sehal, Baijnath के निर्माण कार्य में संविदाकार को अनुचित लाभ	14 (क, ख, ग)	0.25
5	C/O GHS Gunehar, Baijnath के निर्माण कार्य में संविदाकार को अनुचित लाभ	15 (क, ख)	0.21
6	C/O Armoury Store Building 1 st IRB Bangarh, Una के निर्माण कार्य में संविदाकार को अनुचित लाभ	17 (क)	0.31
7	C/O Police Post Building, Dhangupir	18 (क, ख)	0.28

	के निर्माण कार्य में संविदाकार को अनुचित लाभ		
8	C/O PSF Scheme at Sidhpur Malahi के निर्माण कार्य में संविदाकार को अनुचित लाभ	19 (क, ख)	0.25
9	C/O GSSS Barwala Dharamshala के निर्माण कार्य में संविदाकार को अनुचित लाभ	26 (क, ख, ग, घ)	0.29

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में सलग्न परिशिष्ट "क" में दर्शाई गई है। वर्ष 04/89 से 03/16 तक मण्डल से सम्बन्धित 221 पैरे शेष हैं जिनका वर्ष वार विवरण निम्नलिखित है:-

क्र०सं०	वर्ष	शेष पैरों की सं०	टिप्पणी
1	1989-90	1	आवास बोर्ड से सम्बन्धित पैरे
2	2003-04	1	
3	2004-05	1	
4	2005-06	8	
5	2006-07	20	
6	2007-08	6	
7	2008-09	6	
8	2009-10	19	
9	2010-11	6	
10	2011-12	19	
11	2012-13	31	
12	2013-14	21	
13	2014-15	12	
14	2015-16	24	
15	1996-97	11	एस०डी०ए० उप मण्डल धर्मशाला से सम्बन्धित पैरे
16	1997-98	24	
17	1998-99	3	

अतः उपरोक्त पैरों में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:—

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण धर्मशाला मण्डल के लेखाओं अवधि 1.4.2016 से 31.3.17 तक का अंकेक्षण कार्य श्री मोहिन्द्र कुमार, सहायक नियन्त्रक व श्री शिव कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा श्री ज्ञान चन्द शर्मा, उप निदेशक के पर्यवेक्षण में दिनांक 19.1.18 से 13.3.2018 तक धर्मशाला में किया गया। माह 03/2017 के लेखाओं का चयन विस्तृत अंकेक्षण हेतु किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण मण्डल के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं जाँच हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेख के आधार पर किया गया है। मण्डल अधिकारी द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत अधूरी अथवा सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्क:—

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण धर्मशाला मण्डल के लेखाओं अवधि 1.4.2016 से 31.3.17 तक के अंकेक्षण शुल्क को जमा करवाने के लिए आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय को अलग से अनुरोध किया जाएगा।

4 बैंक समाधान विवरणिका:—

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण धर्मशाला मण्डल के बैंक खातों में दिनांक 31.3.17 को जमा राशि तथा रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तशेष में पाए गये अन्तर से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणिका का विवरण परिशिष्ट "ख" में दिया गया है।

5 (क) विविध अग्रिम ₹20.96 लाख समायोजन हेतु शेष

दिनांक 31.3.17 को मिश्रित अग्रिम की राशि ₹2095550 समायोजन हेतु शेष थी जिस का विस्तृत विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट "ग" में दर्शाया गया है। अतः

मण्डल अधिकारी इस राशि के समायोजन हेतु उचित कदम उठाया जाना सुनिश्चित करें ताकि मण्डल के खातों में अग्रिम की राशि को शून्य किया जा सके।

(ख) अन्य अग्रिम राशियाँ

दिनांक 31.3.17 को मण्डल के लेखों के अनुसार निम्न अन्य अग्रिम राशियाँ समायोजन हेतु शेष थी:-

क्र०सं०	अग्रिम विवरण	राशि (₹)	परिशिष्ट
1	गर्म वस्त्र अग्रिम	13725	परिशिष्ट (घ)
2	स्टाफ अग्रिम	1162144	परिशिष्ट (ङ)

उपरोक्त अग्रिम से सम्बन्धित प्रस्तुत अभिलेख की जाँच करने पर पाया कि स्टाफ अग्रिमों का समायोजन वित्त वर्ष के अन्त तक होना अपेक्षित था किन्तु उक्त परिशिष्टों में वर्णित विवरणानुसार कर्मचारियों के खाते में दिनांक 31.3.17 तक अग्रिम राशि समायोजन हेतु शेष थी, जिनका शीघ्र समायोजन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 रख-रखाव प्रभार की ₹365.87 लाख वसूली हेतु शेष

हिमुडा मण्डल धर्मशाला के अधीन विभिन्न आवासीय बस्तियों से संबन्धित अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया कि इन बस्तियों से दिनांक 31.03.17 तक रख-रखाव प्रभार के रूप में ₹36587297 वसूली हेतु शेष थी। इस राशि का बस्ती वार विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	कलौनी का नाम	उपमण्डल का नाम	दिनांक 31.03.17 को वसूली योग्य राशि (₹)
1	आवासीय बस्ती देहरा, जिला कांगड़ा	धर्मशाला -I	1274331.00
2	आवासीय बस्ती कांगड़ा	धर्मशाला -I	3320179.00
3	पी०एस०एफ० सिद्धपुर	धर्मशाला -II	715507.00
4	पी०एस०एफ० खनियारा	धर्मशाला -II	269636.00
5	आवासीय परिसर होल्टा	पालमपुर	9307846.00
6	पी०एस०एफ० विन्द्रावन	पालमपुर	514948.00
7	आवासीय बस्ती लोहना	पालमपुर	233745.00
8	आवासीय बस्ती रक्कड़ ऊना	ऊना	19553716.00
9	आवासीय बस्ती बंगाणा ऊना	ऊना	986839.00

10	पी0एस0एफ0 इंदौरा	धर्मशाला	119402.00
11	बी०बी०के० इंदौरा	धर्मशाला	136616.00
12	आवासीय बस्ती हरिपुर	चम्बा	154532.00
कुल राशि			36587297

उपरोक्त विवरण के अवलोकन से स्वतः ही स्पष्ट है कि मण्डल द्वारा विभिन्न आवासीय परिसरों से रखरखाव प्रभार की वसूली हेतु समय-2 पर उचित एवं कारगर कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। परिणामस्वरूप वर्ष 2016-17 में यह राशि 2015-16 की तुलना में ₹25718765 से बढ़कर ₹36385217 पहुँच गई है। अतः यह प्रकरण हिमुडा प्रबन्धन के विशेष ध्यान में प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार आगामी उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

- 7 (क) विभिन्न आवासीय बस्तियों से जल प्रभार की ₹10.65 लाख वसूली हेतु शेष :-
विभिन्न आवासीय परिसरों के जल प्रभार के अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया कि निम्न वर्णित बस्तियों के जल उपभोक्ताओं से दिनांक 31.03.17 तक जल प्रभार ₹1065361 वसूली हेतु शेष थी।

क्र०सं०	कलौनी का नाम	उपमण्डल का नाम	दिनांक 31.03.17 को वसूली योग्य राशि
1	पी0एस0एफ0 सिद्धपुर	धर्मशाला -II	469851.00
2	आवासीय बस्ती कांगड़ा	धर्मशाला -I	363154.00
3	आवासीय बस्ती लोहना	पालमपुर	7427.00
4	पी0एस0एफ0 विन्द्रावन	पालमपुर	75158.00
5	पी0एस0एफ0 खनियारा	धर्मशाला -II	55904.00
6	आवासीय बस्ती रक्कड़ ऊना	ऊना	77646.00
7	आवासीय बस्ती बंगाणा ऊना	ऊना	16221.00
कुल राशि			1065361.00

अतः जल प्रभार की ₹1065361 की वसूली के लिए मण्डल अधिकारी नियमानुसार समुचित कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करें।

- (ख) पी0एस0एफ0 खनियारा में जल प्रभार की मांग न करना :-

अंकेक्षण में पाया कि पी0एस0एफ0 खनियारा के आबंटियों से वर्ष 2016-17 में जल प्रभार की मांग नहीं की गई थी जिस बारे में सहायक अभियंता द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस बस्ती में पानी की नियमित आपूर्ति न होने के कारण बिल जारी नहीं किए गए थे एवं पानी की आपूर्ति करदाताओं को टैंकरों द्वारा दी गई थी। अतः टैंकरों द्वारा जल आपूर्ति करने से कुल व्यय राशि की गणना करके नियमानुसार जल प्रभार

की वसूली करना सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 घरेलू उपभोक्ताओं से जल प्रभार की कम दर से वसूली किए जाने के परिणामस्वरूप ₹356 की हानि

उप-मण्डल ऊना में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जल प्रभार की दर 30000 लीटर तक 9.90 प्रति हजार लीटर तथा 30000 से अधिक के लिए 19.80 प्रति हजार लीटर निर्धारित की गई थी। जल प्रभार से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को निर्धारित दर की अपेक्षा कम दर पर जल प्रभार के बिल जारी किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप निर्माण मण्डल को ₹356 की हानि हुई है। अतः वर्णित अनियमितता को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वित्तीय हानि की ₹356 की भरपाई अब सम्बन्धित उचित स्रोत से करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

Sr. No.	Name	A/C No.	Period	Consumption of water (in thousand)	Rate as per ledger	Rate as per Audit	Diff.
1	Sh. Sankar Dass	D-143	1-9-16 to 31-12-16	198	120x9.90=1188 60x19.80=1188 2376	120x9.90=1188 78x19.8=1544 2732	356

9 रख-रखाव प्रभार सरचार्ज की वसूली न करने के कारण ₹7205 की आय की हानि

निर्माण मण्डल ऊना व धर्मशाला के रख-रखाव शुल्क से सम्बन्धित नियमों के अनुसार यदि उपभोक्ता रख-रखाव प्रभार के बिल जारी करने के 30 दिन के भीतर बिल की राशि का भुगतान नहीं करता है तो बिल की राशि पर 14% वार्षिक दर से सरचार्ज की वसूली की जानी अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान रख-रखाव प्रभार से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित प्रकरणों में आवास बस्ती धारकों से रख-रखाव प्रभार के बिल जारी करने के 30 दिन के पश्चात रख-रखाव प्रभार देय सरचार्ज की वसूली नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹7205 की आय की हानि हुई है। अतः वर्णित

अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा हानि की राशि की भरपाई सम्बन्धित उचित स्रोत से सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेशन को अवगत करवाया जाए।

Name of Allotee	Amount demanded	Date of issue of bill	Date of receipt	Amt. of surcharge @ 14% (₹)	Total amt. due (₹)	Total amt. received (₹)	Amt. less received (₹)
Rakesh Kumar HIG-81 UNA	8724	10.11.16	7.02.17	8724x14%=1221	9945	8724	1221
Ram lubthuya plot No.-12 (Mohli)	5731	14.2.17	29.3.17	5731x14%=802	6533	5731	802
Smt. Sumanjasrotia Plot No.-31 (Khanyara)	7268	14.12.16	4.3.17	7268x14%=1018	8286	7268	1018
Smt. Bimla Devi (B.B.K. Indora)	3847	28.11.16	9.1.17	3847x14%=539	4386	3847	539
Smt. Rimmiarora (Sidhpurmohli)	5714	14.2.17	31.3.17	5714x14%=800	6514	5714	800
Sh. Surinder Dhawan (chamba)	5472	30.4.16	28.7.16	5472x14%=766	6238	5472	766
Sh. Vinod Kumar (chamba)	6498	30.4.16	8.6.16	6498x14%=910	7408	6498	910
Sh. Seemant Kumar (chamba)	8208	30.4.16	8.6.16	8208x14%=1149	9357	8208	1149
						Total	₹7205

10 सेवाकर की गलत गणना के कारण ₹231 की हानि

अंकेशन के दौरान ऊना उप-मण्डल के रख-रखाव प्रभार की आय से सम्बन्धित अभिलेख/खाताबही की पड़ताल पर पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार देय सेवाकर की गलत गणना के कारण प्लॉट के मालिक से ₹231 की कम वसूली की गई थी जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹231 की वसूली सम्बन्धित उचित स्रोत से सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेशन को अवगत करवाया जाए:-

Name of Allotte	Amt.	Amt. of	Total	Total Amt.	Amt.
-----------------	------	---------	-------	------------	------

	demanded (₹)	service tax @ 14% (₹)	Amt. due (₹)	received (₹)	less received (₹)
Sh. Vinod Kumar (HIG-24)	8288	1160	9448	9217	231

- 11 हिमुडा मण्डल धर्मशाला के अधीन आवास बस्तियों के धारकों से जल प्रभार एवं रख-रखाव प्रभार के रूप में दिनांक 31.3.2017 को दर्शाये गए वसूली हेतु शेष में अन्तर पाया जाना

मण्डल के अधीन उपमण्डलों के जल प्रभार एवं रख-रखाव से सम्बन्धित दिनांक 31.3.2017 को दर्शाये गये वसूली हेतु शेष राशि के विवरण की जाँच करने पर निम्न विवरणानुसार अन्तर पाया गया जिसका मुख्य कारण विभिन्न पंजिकाओं से राशि को अगले वर्ष की पंजिकाओं में पोस्टिंग करते समय कम अथवा अधिक उठाया गया था। अतः दिनांक 31.3.17 को दर्शाई गई शेष राशि की पुनः जाँच कर इसे संशोधित करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

Sr.No.	Name/Account	Actual Amt. (₹)	amt. shown in O/S state (₹)	Difference (₹)
Water Charges sidhpurmohli				
1	Sh. U.C. Lohri Block-4 Set 8	18866	18746	120
2	Sh. Rajnesh Jain Block-5 set 1	183	-	183
3	Sh. Avinashkaur Block-8 Set-3	644	1756	1112
4	Sh. Surya Najmeen block-12 Set 7	78022	7822	70200
Water Charges S.H.C. Kangra				
5	Sh. GopalKrishan HIG-33	9457	11177	1720
6	Smt. Yogita HIG-37	0	3211	3211
7	Sh. Tilak Raj HIG-41	11027	13234	2207
8	Smt. Chaya Mankotia HIG-52	11027	11007	20
9	Sh. Budh Ram Flat No.-25	38480	32945	5535
10	Sh. Daljit Singh HIG-46	11760	11398	362
Water Charges Khanyara				
11	smt. Nirmla Devi Plot No. 1	14483	12704	1779
12	Sh. Sanjay Kumar plot No.-11	5469	5479	10
13	Sh. Shubhash Chand plot no.-14	2326	2040	286
14	Smt. Uma Sharma plot no.-19	19297	16927	2370
15	Sh. Rajesh Sharma plot No.-21	7143	7154	11
16	Sh. Kulwant Singh plot No.-28	5937	5527	410
Maint. Sidhpurmohli				
17	Sh. InderSain block-6 Set-3	3519	3500	19

18	Sh. Ishwarbhagat block-8 set-6	11387	11267	120
19	Smt. Ravinder Kaur block-8 set-7	18940	18845	95
Maint. Una				
20	Smt. Santosh Kumar HIG-36	9179	8616	563
21	Smt. Pushpa MIG-79	5198	4894	304
22	Sh.Kashmir Singh HIG-91	44553	41418	3135
23	Excise & Taxation B.B.K. Indora	25844	25812	32
H.No.5 & 6				

12 हरिपुर आवासीय बस्ती के उपभोक्ताओं से रख-रखाव प्रभार की मांग न करना

उपमण्डल के रख-रखाव शुल्क से सम्बन्धित मांग व संग्रह रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि हरिपुर आवासीय बस्ती के उपभोक्ताओं से वर्ष 2016-17 में 30.9.16 के उपरान्त रख-रखाव प्रभार से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ रख-रखाव रजिस्टर में नहीं की गई थी जिसका मुख्य कारण उपभोक्ताओं को बिल जारी न करना था जोकि अनियमित है तथा उप मण्डल की लचर कार्य प्रणाली को दर्शाता है। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा रख-रखाव प्रभार की प्रविष्टियाँ माँग व संग्रह रजिस्टर में समय पर की जानी सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 जल प्रभार के बिलों को प्रतिमाह न जारी करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमुडा मण्डल धर्मशाला के अधीन विभिन्न आवासीय बस्तियों के जल प्रभार के बिलों को प्रतिमाह न जारी करके तिमाही या छमाही अवधि में जारी किया जा रहा था जबकि मण्डल द्वारा प्रतिमाह 30000 लीटर जल सामान्य दर पर व उससे अधिक उपभोग की गई मात्रा को दो गुना दर से वसूल करने का प्रावधान है किन्तु प्रतिमाह आधार पर बिल जारी न करने के कारण उपभोक्ताओं द्वारा प्रतिमाह की जा रही जल की वास्तविक खपत का पता नहीं चलता जिसके कारण उपभोक्ताओं से जल प्रभार की वास्तविकता से कम दर से वसूली की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः परामर्श दिया जाता है उपभोक्ताओं को प्रतिमाह वास्तविक खपत के आधार पर जल प्रभार के बिल जारी करके वसूली की सुनिश्चित की जाए तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 संविदाकार को ₹0.25 लाख का अनुचित लाभ पहुँचाना

Name of Work	C/O GHS Sehal Teh. Baijnath
Estimated cost	₹1769498
Awarded Amt.	2658413 (50.23% above)
Award letter No.	HimudaDD/CB/W-7-5313-21 dated 31.10.16
Justification	55.25% above
Agreement No.	41 of 2016-17
Name of Contractor	Sh. Sukh Ram
Measurements Books	₹1879, 1591
Vr.No.	48 dated 8.3.17 (1 st running bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल का अंकेशन करने के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेशन को अवगत करवाया जाए:-

(क) स्टील का गलत फेक्टर लगाने के कारण संविदाकार को ₹812 का अधिक भुगतान

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य में प्रोवाईडिंग टी0एम0टी0 स्टील रिइनफोर्समेंट के करवाए गए कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों का अंकेशन करने पर पाया गया कि 8 एम0एम0टी0एम0टी0 स्टील को रनिंग मीटर से किलोग्राम में बदलते समय प्रति मीटर 0.395 कि0ग्रा0 का फेक्टर लगाकर गणना की गई थी जबकि नियमानुसार गणना 0.39 कि0ग्रा0 प्रतिमीटर का फेक्टर लगाकर की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार संविदाकार को निम्न विवरणानुसार 14.25 किलोग्राम अधिक ली गई मात्रा हेतु अनुबन्धित दर ₹57 प्रति किलोग्राम की दर से ₹812 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित की जाए:-

माप पुस्तिका	गणना जो की गई	सही गणना (0.39 फेक्टर से)	अधिक गणना
1879 पृ0-5	(0.395 फेक्टर से) 693.15 x 0.395=273.79 Kg	693.15 x 0.39=270.33 Kg	3.46 Kg
1879 पृ-7	31.9x0.395=12.60 Kg	31.9x0.39=12.44 Kg	0.16 Kg
1879 पृ0-11	1169.38 x 0.395=461.91 Kg	1169.38 x 0.39=456.06 Kg	5.85 Kg
1879 पृ0-16	956.10 x 0.395=377.66 Kg	956.10 x 0.39=372.88 Kg	4.78 Kg
		कुल मात्रा	14.25 Kg

(ख) मिटटी की खुदाई से निकले ओरडीनरी क्वारिड स्टोन की भण्डार प्रविष्टि एम0ए0एस0 रजिस्टर में न लेने के फलस्वरूप ₹0.22 लाख की वित्तीय हानि

उपरोक्त कार्य के निष्पादन के दौरान प्रथम चलत बिल तक अनुबन्धित मद संख्या 1 कटिंग इन अर्थ वर्क में 408.80 घन मीटर मिटटी की खुदाई हेतु संविदाकार को ₹102200 का भुगतान किया गया था। अंकेक्षण में पाया गया कि खुदाई में निकले पत्थरों की वसूली न तो संविदाकार को पत्थर जारी करके ही की गई थी और न ही पत्थरों को एम0ए0एस0 रजिस्टर में ही दर्ज किया गया था मान्य सिद्धान्त अनुसार मिटटी की खुदाई का न्यूनतम 10% भाग ओरडीनरी क्वारिड स्टोन के रूप में गणना में लिया जाना अपेक्षित था जबकि कुल मिटटी की खुदाई 408.80 घन मीटर का 10% घन मीटर भाग जो कि 40.88 घन मीटर बनता है के बराबर पत्थरों के रूप में गणना में नहीं लिया जाना था। अतः इस अनियमितता के कारण निर्माण मण्डल को निम्न विवरणानुसार ₹21495 की हानि हुई है:-

HPSR 2009 के अनुसार ओरडिनरी क्वारिड स्टोन की निर्धारित दर ₹350 प्रतिघन मीटर ओवरआल प्रीमियम 50.23% above

कुल दर प्रति घन मीटर $350 + 50.23\% \text{ above} = ₹525.80$ प्रति घन मीटर

इस प्रकार 40.88 घन मीटर पत्थरों का कुल मूल्य ₹21495 (40.88×525.80) की वित्तीय हानि का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा हानि की भरपाई उचित स्रोत से सुनिश्चित की जाए।

(ग) कार्य स्थल पर लाए गए पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹0.03 लाख की रायल्टी की वसूली न करना

प्रधान सचिव उद्योग के पत्र संख्या II (एफ) 6-5/2006 दिनांक 16.1.12 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी, चूनापत्थर, संगमरमर इत्यादि के खनन पर निर्धारित दरों अनुसार रायल्टी लगाई गई है। संविदाकार द्वारा वर्णित निर्माण कार्य में निम्न विवरणानुसार उपयोग किए गए पत्थरों की एवज में सरकार को अदा की गई रायल्टी के समर्थन में विहित पत्र "एम" प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था अन्यथा निर्माण कार्य बिलों से अनुदेशानुसार निर्धारित दर से रायल्टी की कटौती करके सरकारी खजाने में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी परन्तु निर्माण मण्डल द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी अर्थात् न तो निर्माण कार्य बिलों से रायल्टी की कटौती ही की गई थी और न ही

अंकेक्षण को वर्णित फार्म एम ही प्रस्तुत किए गए जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकार को परोक्ष रूप से अनुचित लाभ पहुँचाया गया है। अतः संविदाकार से रायल्टी न वसूलने का नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा फिर रायल्टी की सम्बन्धित उचित स्रोत से वसूली करते हुए सरकारी खजाने में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

कार्य मद सं०	कार्य मद नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	उपयोग पत्थरों की मात्रा (टनों में)	रायल्टी की दर प्रति टन (₹ में)	देय राशि (₹) में
11	R R Masonary 1:6	20.83 cum	20.83x1.73x2.32 =66.20	40	2648

(घ) अनुबन्ध की शर्तानुसार संविदाकार द्वारा अनुमोदित दर संविदा/अनुमोदित

ब्रांड Sail/Tisco/Rinl का स्टील क्रय करके निर्माण कार्य में प्रयोग किया जाना अपेक्षित था परन्तु प्रस्तुत अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि संविदाकार द्वारा बिल संख्या 2002 दिनांक 16.12.16 M/S Mani Ram Sham Lal, Paprola से 35.25 Kg की दर से ₹313822 का स्टील खरीदा गया था जोकि न तो उक्त वर्णित अनुमोदित ब्रांड का था और न ही उक्त फर्म Sail/Tisco/Rinl ब्रांड की अथोराइज्ड डीलर ही थी। इसके अतिरिक्त संविदाकार द्वारा M/S Sood Steel Industries Kandrodi से स्टील की गुणवत्ता टेस्ट रिपोर्ट ली गई थी जबकि टेस्ट रिपोर्ट सरकारी संस्थान से ली जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार उपरोक्त निर्माण कार्य में संविदाकार द्वारा घटिया ब्रांड के स्टील के प्रयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः वर्णित अनियमितता उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आशय के साथ लाई जाती है कि इस प्रकरण में मण्डल स्तर पर आवश्यक छानबीन करने के उपरान्त वस्तुस्थिति का पता लगाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

15 संविदाकार को ₹0.21 लाख का अनुचित लाभ पहुँचाना:-

Name of Work	C/O GHS Gunehar Teh. Baijnath
Estimated Cost	₹2470439
Awarded Amt.	₹3445371 (39.46% above)
Award letter No.	Himuda DD/CB/W-7-1834-41 dated 29.6.16
Justification	49.84.% above

Agreement No. 19 OF 2016-17

Name of Contractor Sh. Bal Krishan

Measurements Books 1874, 1793

Vr.No. 50 dated 8.3.17 (1st running bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल का अंकेक्षण करने के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

(क) स्टील का गलत फेक्टर लगाने के कारण संविदाकार को ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य में प्रोवाईडिंग टी0एम0टी0 स्टील रिइनफोर्समेंट के करवाए गए कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि 8 एम0एम0 टी0एम0टी0 स्टील को रनिंग मीटर से किलोग्राम में बदलते समय प्रति मीटर 0.395 कि0ग्रा0 का फेक्टर लगाकर गणना की गई थी जबकि नियमानुसार गणना 0.39 कि0ग्रा0 प्रतिमीटर का फेक्टर लगा कर की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार संविदाकार को निम्न विवरणानुसार 31.41 किलोग्राम अधिक ली गई मात्रा हेतु अनुबन्धित दर ₹58 प्रति किलोग्राम की दर से ₹1822 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित की जाए।

माप पुस्तिका	गणना जोकि गई (0.395 फेक्टर से)	सही गणना (0.39 फेक्टर से)	अधिक गणना
1874 पृ0-28	588x0.395=232.26 Kg	588x0.39=229.32 Kg	2.94 Kg
1874 पृ0-34	993.70x0.395=392.51 Kg	993.70x0.39=387.54 Kg	4.97 Kg
1874 पृ0-34	933.02x0.395=368.54 Kg	933.02x0.39=363.88 Kg	4.66 Kg
1874 पृ0-43	3641.2x0.395=1438.27 Kg	3641.20x0.39=1420.06 Kg	18.21 Kg
1874 पृ0-46	126.40x0.395=49.93 Kg	126.4x0.39=49.30 Kg	0.63 Kg
		कुल मात्रा	31.41 Kg

(ख) मिट्टी की खुदाई से निकले ओरडीनरी क्वारिड स्टोन की भण्डार प्रविष्टि एम0ए0एस0 रजिस्टर में न लेने के फलस्वरूप ₹0.19 लाख की वित्तीय हानि

उपरोक्त कार्य के निष्पादन के दौरान प्रथम चलत बिल तक अनुबन्धित मद संख्या 1 कटिंग इन अर्थ वर्क में 392.15 घन मीटर मिट्टी की खुदाई हेतु संविदाकार को ₹78430 का भुगतान किया गया था। अंकेक्षण में पाया गया कि खुदाई में निकले पत्थरों की वसूली न तो संविदाकार से पत्थर जारी करके ही की गई थी और न ही पत्थरों को एम0ए0एस0 रजिस्टर में ही दर्ज किया गया था। मान्य सिद्धान्त के अनुसार मिट्टी की खुदाई का न्यूनतम 10% भाग ओरडिनरी क्वारिड स्टोन पत्थरों के रूप में गणना में लिया जाना अपेक्षित था जबकि कुल मिट्टी की खुदाई 392.15 घन मीटर का 10% भाग जोकि 39.21 घन मीटर बनता है, के बराबर पत्थरों के रूप में गणना में नहीं लिया गया था। अतः इस अनियमितता के कारण मण्डल को निम्न विवरणानुसार ₹19139 की हानि हुई है:-

HPSR 2009 के अनुसार ओरडीनरी क्वारिड स्टोन की निर्धारित दर ₹350 प्रतिघन मीटर ओवरआल प्रीमियम 39.46% above

कुल दर प्रति घन मीटर $350 + 39.46\% \text{ above} = ₹488.11$ प्रति घन मीटर

इस प्रकार 39.21 घन मीटर पत्थरों का कुल मूल्य ₹19139 (39.21×488.11) की वित्तीय हानि का नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा हानि की भरपाई उचित स्रोत से सुनिश्चित की जाए।

(ग) अनुबन्ध की शर्तानुसार संविदाकार द्वारा अनुमोदित दर संविदा / अनुमोदित ब्रांड Sail/Tisco/Rinl का स्टील क्रय करके निर्माण कार्य में प्रयोग किया जाना अपेक्षित था परन्तु प्रस्तुत अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि संविदाकार द्वारा बिल संख्या 2227 दिनांक 1.9.16 M/S Guru Nanak Agencies Barsar, Hamirpur से ₹35.34 Kg की दर से ₹439635 का व बिल संख्या 1039 दिनांक 28.12.16 M/S Sai Iron & Steel Store Sungal से ₹481630 का स्टील खरीदा गया था जोकि न तो उक्त वर्णित आमोदित ब्रांड का था और न ही उक्त फर्म Sail/Tisco/Rinl ब्रांड की अर्थोराइज्ड डीलर थी। इसके अतिरिक्त संविदाकार द्वारा M/S Crest Steel (Una) Pvt. Ltd. से स्टील की गुणवत्ता टेस्ट रिपोर्ट ली गई थी जबकि टेस्ट रिपोर्ट सरकारी संस्थान से ली जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार उपरोक्त निर्माण कार्य में संविदाकार द्वारा घटिया ब्रांड के स्टील के प्रयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः वर्णित अनियमितता उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आशय के साथ लाई जाती है कि इन प्रकरणों में मण्डल स्तर पर आवश्यक छानबीन करने के उपरान्त वस्तु स्थिति का पता लगाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

16 ठेकेदार को ₹0.03 लाख का अनियमित भुगतान

Name of Work	C/O 4 No. Type II Qtrs At 2 nd Irb Sakoh Dharamsala
Estimated Cost	₹3997600
Awarded Amt.	₹5424729.20 (43.28% above) civil ₹333672.80 WS & SI
Award letter No.	HimdaDD/CB/W-7-2014-7124-31 dated 12.2.16
Agreement No.	58 of 2015-16
Name of Contractor	Sh. Rahul Dhiman
Measurements Books	1870, 1740, 1749
Vr. No.	55 dated 8.3.17 (2 nd running bill)
उपरोक्त निर्माण कार्य के द्वितीय चलत बिल का अंकेक्षण करने के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिसका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-	

(क) स्टील का गलत फेक्टर लगाने के कारण संविदाकार को ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य में प्रोवाईडिंग टी0एम0टी0 स्टील रिइनफोर्समेंट के करवाए गए कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि 8 एम0एम0 टी0एम0टी0 स्टील को रनिंग मीटर से किलोग्राम में बदलते समय मीटर 0.395 कि0ग्रा0 का फेक्टर लगाकर गणना की गई थी जबकि नियमानुसार गणना 0.39 कि0ग्रा0 प्रतिमीटर का फेक्टर लगाकर की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार संविदाकार को निम्न विवरणानुसार 42.18 किलोग्राम अधिक ली गई मात्रा हेतु अनुबन्धित दर ₹65 प्रति किलोग्राम की दर से ₹2742 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित की जाए।

माप पुस्तिका	गणना जो की गई (0.395 फेक्टर से)	सही गणना (0.39 फेक्टर से)	अधिक गणना
1740 पृ-85	78x0.395=30.81 Kg	78x0.39=30.42 Kg	0.39 Kg
1770 पृ-27	768x0.395=303.36 Kg	768x0.39=299.52 Kg	3.84 Kg
1770 पृ-35	3481.85x0.395=1375.33 Kg	3481.85x0.39=1357.92 Kg	17.41 Kg
1770 पृ-38	768x0.395=303.36 Kg	768x0.39=299.52 Kg	3.84 Kg
1770 पृ-45	3338.65x0.395=1318.77 Kg	3338.65x0.39=1302.07 Kg	16.70 Kg
		कुल मात्रा	42.18 Kg

17 संविदाकार को ₹0.31 लाख का अनुचित लाभ पहुँचाना

Name of Work	C/O Armoury Store Building 1 st IRB bangarh Una
Estimated cost	₹14696058
Awarded Amt.	₹10429005 (0.99 % Abover)

Award letter No. HimudaDD/CB/W-7-2979-87 dated 10.8.16
 Justification 30, 15% above
 Agreement No. 22 of 2016-17
 Name of Contractor Sh. Shiv Kumar Hakam
 Measurements Books 1703, 1477
 Vr.No. 60 dated 9.3.17 (1st running bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल का अंकेक्षण करने के दौरान निम्नलिखित अनियमितता पाई गई जिसका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

(क) कार्य स्थल पर लाए गए पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹0.31 लाख की रायल्टी की वसूली न करना

प्रधान सचिव उद्योग के पत्र संख्या II (एफ) 6-5/2006 दिनांक 16.1.12 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी, चूना, पत्थर संगमरमर इत्यादि के खनन पर निर्धारित दरों अनुसार रायल्टी लगाई गई है। ठेकेदार द्वारा वर्णित निर्माण कार्य में निम्न विवरणानुसार उपयोग किए गए पत्थरों की एवज में सरकार को अदा की गई रायल्टी के समर्थन में विहित प्रपत्र "एम" प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था अन्यथा निर्माण कार्य बिलों से अनुदेशानुसार निर्धारित दर से रायल्टी की कटौती करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी परन्तु निर्माण मण्डल द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी अर्थात् न तो निर्माण कार्य बिलों से रायल्टी की कटौती ही की गई थी और न ही अंकेक्षण को वर्णित फार्म "एम" ही प्रस्तुत किए गए जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकार को परोक्ष रूप से अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। अतः संविदाकार से रायल्टी न वसूलने का नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा रायल्टी को सम्बन्धित उचित स्रोत से वसूली करते हुए सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

कार्य मद सं०	कार्य मद नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	उपयोग पत्थरों की मात्रा (टनों में)	रायल्टी की दर प्रति टन (₹ में)	देय राशि (₹ में)
22	R R Masonary 1:6	245.64 Cum	245.64x1.37x2.32=780.74	40	31230

18 संविदाकार को ₹0.28 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाना

Name of Work	C/O Police Post at Dhangupir (i/C internal WS&SI)
Estimated Cost	₹12676153
Awarded Amt.	₹9687649-05 (Civil 12.57% above WSSI 43.55% above)
Award letter No.	Himuda DD/CB/W-7-8055-63 dated 29.3.16
Justification	Civil 13.50% above WS & SI 60.08 % above
Agreement No.	61 of 2015-16
Name of Contractor	Sh.Anil Kumar Mahajan
Measurements Books	1783, 1909
Vr.No.	62 dated 9.3.17 (2 nd running bil)

उपरोक्त निर्माण कार्य के द्वितीय चलत बिल का अंकेक्षण करने के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिसका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

(क) मिट्टी की खुदाई से निकले ओरडीनरी क्वारिड स्टोन की भण्डार प्रविष्टि एम0ए0एस0 रजिस्टर में न लेने के फलस्वरूप ₹0.08 लाख की वित्तीय हानि

उपरोक्त कार्य के निष्पादन के दौरान प्रथम चलत बिल तक अनुबन्धित मद संख्या 1 कटिंग इन अर्थ वर्क में 200 घन मीटर मिट्टी की खुदाई हेतु संविदाकार को ₹16000 का भुगतान का भुगतान किया गया था। अंकेक्षण में पाया गया कि खुदाई में निकले पत्थरों की वसूली न तो संविदाकार से पत्थर जारी करके ही की गई थी और न ही पत्थरों को एम0ए0एस0 रजिस्टर में ही दर्ज किया गया था। मान्य सिद्धान्त के अनुसार मिट्टी की खुदाई का न्यूनतम 10% भाग ओरडीनरी क्वारिड स्टोन पत्थरों के रूप में गणना में लिया जाना अपेक्षित था जबकि कुल मिट्टी की खुदाई 200 घन मीटर का 10% भाग जो कि 20 घन मीटर बनता है के बराबर पत्थरों के रूप में गणना में नहीं लिया गया था। अतः इस अनियमितता के कारण मण्डल को निम्न विवरणानुसार ₹7880 की हानि हुई है:-

HPSR 2009 के अनुसार ओरडीनरी क्वारिड स्टोन की निर्धारित दर ₹350 प्रतिघन मीटर, ओवरऑल प्रीमियम 12.57% above

कुल दर प्रति घन मीटर $350 + 12.57\% \text{ above} = ₹394$ प्रति घन मीटर

इस प्रकार 20 घन मीटर पत्थरों का कुल मूल्य ₹7880 (20x394) की वित्तीय हानि का नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा हानि की भरपाई उचित स्रोत से सुनिश्चित की जाए।

(ख) कार्य स्थल पर लाए गए पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹0.20 लाख की रायल्टी की वसूली न करना

प्रधान सचिव उद्योग के पत्र संख्या II (एफ)6-5/2006 दिनांक 16.1.12 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी, चूना, पत्थर संगमरमर इत्यादि के खनन पर निर्धारित दरों अनुसार रायल्टी लगाई गई है। संविदाकार द्वारा वर्णित निर्माण कार्य में निम्न विवरणानुसार उपयोग किए गए पत्थरों के एवज में सरकार को अदा की गई रायल्टी के समर्थन में विहित प्रपत्र "एम" प्रस्तुत किया जापा अपेक्षित था अन्यथा निर्माण कार्य बिलों से अनुदेशानुसार निर्धारित दर से रायल्टी की कटौती करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी परन्तु निर्माण मण्डल द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी अर्थात् न तो निर्माण कार्य बिलों से रायल्टी की कटौती की गई थी और न ही अंकेक्षण को वर्णित फार्म एम ही प्रस्तुत किए गए जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ठेकेदार को परोक्ष रूप में अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। अतः ठेकेदार से रायल्टी न वसूलने का नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा रायल्टी की सम्बन्धित उचित स्रोत से वसूली करते हुए सरकारी खजाने में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

कार्य मद सं०	कार्य मद नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	उपयोग पत्थरों की मात्रा (टनों में)	रायल्टी की दर प्रति टन (₹) में	देय राशि (₹) में
--------------	--------------	---------------------------	------------------------------------	--------------------------------	------------------

15	R R Masonry 1:6	155.13 Cum	155.13x1.37x2.32 =493.06	40	19722
----	--------------------	---------------	-----------------------------	----	-------

19 ठेकेदार को ₹0.25 लाख का अनियमित भुगतान:-

Name of Work	C/O PSF Scheme at Sidhpur Malahi (Sh.C/08 No. Cat.I Flat)
Estimated Cost	₹21129255
Awarded Amt.	₹Civil 16739903 (39.46% above) WS & SI ₹698818 (36.30% above)
Award letter No.	Himuda DD/CB/W-7/2014-1252-60 dated 1.6.16
Justification	Civil 46.88% above WS & SI 72.19 % above
Agreement No.	18 of 2016-17

Name of Contractor Sh.Surinder Singh
Measurements Books 1896, 1897, 1899
Vr.No. 64 dated 9.3.17 (4th running bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाईं जिनका यथोचित समाधान करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

(क) स्टील का गलत फेक्टर लगाने के कारण संविदाकार को ₹0.17 लाख का अधिक भुगतान:-

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य में प्रोवाईडिंग टी0एम0टी0 स्टील रिइनफोर्समेन्ट के करवाए गए कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि 8 एम0एम0 टी0एम0टी0 स्टील को रनिंग मीटर से किलोग्राम में बदलते समय प्रति मीटर 0.395 कि0ग्रा0 का फेक्टर लगाकर गणना की गई थी जबकि नियमानुसार गणना 0.39 कि0ग्रा0 प्रतिमीटर का फेक्टर लगाकर की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार संविदाकार को निम्न विवरणानुसार 275.46 किलोग्राम अधिक ली गई मात्रा हेतु अनुबन्धित दर ₹62 प्रति किलोग्राम की दर से ₹17079 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित की जाए।

माप पुस्तिका	गणना जो की गई (0.395 फेक्टर से)	सही गणना (0.39 फेक्टर से)	अधिक गणना
1896 पृ-3	620x0.395=244.9 Kg	620x0.39=241.80 Kg	3.10 Kg
1896 पृ-6	2267.20x0.395=895.54 Kg	2267.20x0.39=884.21 Kg	11.33 Kg
1896 पृ-11	1383.60x0.395=546.52 Kg	1383.60x0.39=539.60 Kg	6.92 Kg
1896 पृ-15	1857.12x0.395=733.56 Kg	1857.12x0.39=724.28 Kg	9.28 Kg
1896 पृ-27	4186.50x0.395=1653.67 Kg	4186.50x0.39=1632.56 Kg	21.11 Kg
1899 पृ-11	4194.67x0.395=1656.89 Kg	4194.67x0.39=1635.92 Kg	20.97 Kg
1899 पृ-20	1968.80x0.395=777.68 Kg	1968.80x0.39=767.83 Kg	9.85 Kg
1899 पृ-45	10066.40x0.395=3976.23 Kg	10066.40x0.39=3925.90 Kg	50.33 Kg
1899 पृ-65	4053.29x0.395=1601.05 Kg	4053.29x0.39=1580.78 Kg	20.27 Kg
1899 पृ-74	3999.36x0.395=1579.75 Kg	3999.36x0.39=1559.75 Kg	20 Kg
1899 पृ-76	226.80x0.395=89.59 Kg	226.80x0.39=88.45 Kg	1.14 Kg
1896 पृ-52	3996.49x0.395=1578.61 Kg	3996.49x0.39=1558.63 Kg	19.98 Kg
1896 पृ-62	4068.77x0.395=1607.16 Kg	4068.77x0.39=1586.82 Kg	20.34 Kg

1896 पृ-64	1536x0.395=606.72 Kg	1536x0.39=599.04 Kg	7.68 Kg
1896 पृ-65	56.69x0.395=22.39 Kg	56.69x0.39=22.11 Kg	0.28 Kg
1899 पृ-79	632.7x0.395=249.92 Kg	632.70x0.39=246.75 Kg	3.17 Kg
1899 पृ-83	1738.80x0.395=686.83 Kg	1738.80x0.39=678.13 Kg	8.70 Kg
1896 पृ-88	7862.50x0.395=3105.69 Kg	7862.50x0.39=3066.37 Kg	39.32 Kg
1896 पृ-92	210.90x0.395=83.31 Kg	210.90x0.39=82.25 Kg	1.06 Kg
1896 पृ-95	126x0.395=49.77 Kg	126x0.39=49.14 Kg	0.63 Kg
कुल मात्रा			275.46 Kg

(ख) कार्य स्थल पर लाए गए पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹0.08 लाख की रायल्टी की वसूली न करना

प्रधान सचिव उद्योग के पत्र संख्या II (एफ) 6-5/2006 दिनांक 16.1.12 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी, चूना पत्थर संगमरमर इत्यादि के खनन पर निर्धारित दरों अनुसार रायल्टी लगाई गई है। संविदाकार द्वारा वर्णित निर्माण कार्य मे निम्न विवरणानुसार उपयोग किए गए पत्थरों के एवज में सरकार को अदा की गई रायल्टी के समर्थन में विहित प्रपत्र "एम" प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था अन्यथा निर्माण कार्य बिलों से अनुदेशानुसार निर्धारित दर से रायल्टी की कटौती करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी परन्तु निर्माण मण्डल द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी अर्थात् न तो निर्माण कार्य बिलों से रायल्टी की ही कटौती की गई थी और न ही अंकेक्षण को वर्णित फार्म एम ही प्रस्तुत किए गए जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकार को परोक्ष रूप में अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। अतः संविदाकार से रायल्टी न वसूलने का नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा रायल्टी की सम्बन्धित स्रोत से वसूली करते हुए सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

कार्य मद सं०	कार्य मद नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	उपयोग पत्थरों की मात्रा (टनों में)	रायल्टी की दर प्रति टन (₹) में	देय राशि (₹) में
10/19	R R Masonary 1:6	18.74 Cum	18.74x1.37x2.32=59.56	40	2382
11/20	Boulder Filling	55.64 cum	55.64x1.10x2.32=141.99	40	5680
Total					8062

20 संविदाकार को ₹344 का अनियमित भुगतान:—

Name of Work	C/O GSSS Malari Block Indora Distt. Kangra
Estimated Cost	₹2042695
Awarded Amt.	₹2580958.43 (26.75% above)
Award letter No.	Himuda DD/CB/W-1552-59 dated 18.6.15
Justification	47.28% above
Agreement No.	180 of 2015-16
Name of Contractor	Mohamad Hafiz
Measurements Books	1946, 1901
Vr.No.	96 dated 10.3.17 (1 st running bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितता पाई गई जिसका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:—

(क) माप पुस्तिका संख्या 1901 पृष्ठ 72 में दर्ज कार्य मद संख्या 7/6(b) Suspended floor, roof, shelves, support balconies की प्रविष्टि के योग 26.41 घन मीटर को माप पुस्तिका संख्या 1946 पृष्ठ 4 में 26.49 घन मीटर अग्रेषित किया गया था जोकि 0.08 घन मी० अधिक है। इस अनियमितता के कारण संविदाकार को ₹344 $(26.49 - 26.41) = 0.008 \times 4300$ का अधिक भुगतान हुआ है जिसकी वसूली उचित स्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए।

21 संविदाकार को ₹0.05 लाख का अनुचित लाभ पहुँचाना

Name of Work	C/O GHS Draman (School building, Science Lab.)
Estimated Cost	₹2380857
Awarded Amt.	₹3120228.97 (31.05% above)
Award letter No.	Himuda DD/CB/W-7373-81 dated 9.1.17
Justification	37.83% above
Agreement No.	61 of 2016-17
Name of Contractor	Sh. Priyank Sood
Measurements Books	1871

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिसका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

(क) स्टील का गलत फेक्टर लगाने के कारण संविदाकार को ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य में प्रोवाईडिंग टी0एम0टी0 स्टील रिइनफोर्समेन्ट के करवाए गए कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि 8 एम0एम0 टी0एम0टी0 स्टील को रनिंग मीटर से किलोग्राम में बदलते समय प्रति मीटर 0.395 कि0ग्रा0 का फेक्टर लगाकर गणना की गई थी जबकि नियमानुसार गणना 0.39 कि0ग्रा0 प्रतिमीटर का फेक्टर लगाकर की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार संविदाकार को निम्न विवरणानुसार 36.89 किलोग्राम अधिक ली गई मात्रा हेतु अनुबन्धित दर ₹58 प्रति किलोग्राम की दर से ₹2140 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित की जाए:-

माप पुस्तिका	गणना जो की गई (0.395 फेक्टर से)	सही गणना (0.39 फेक्टर से)	अधिक गणना
1871 पृ-21	7378.34x0.395=2914.44 Kg	7378.34x0.39=2877.55 Kg	36.89 Kg

(ख) कार्य स्थल पर लाए गए पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹0.03 लाख की रायल्टी की वसूली न करना

प्रधान सचिव उद्योग के पत्र संख्या II (एफ) 6-5/2006 दिनांक 16.1.12 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी, चूना पत्थर संगमरमर इत्यादि के खनन पर निर्धारित दरों अनुसार रायल्टी लगाई गई है। संविदाकार द्वारा वर्णित निर्माण कार्य में निम्न विवरणानुसार उपयोग किए गए पत्थरों के एवज में सरकार को अदा की गई रायल्टी के समर्थन में विहित प्रपत्र "एम" प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था अन्यथा निर्माण कार्य बिलों से अनुदेशानुसार निर्धारित दर से रायल्टी की कटौती करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी परन्तु निर्माण मण्डल द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी अर्थात् न तो निर्माण कार्य बिलों से रायल्टी की कटौती ही की गई थी और न ही

अंकेक्षण को वर्णित फार्म एम ही प्रस्तुत किए गए जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकार को परोक्ष रूप में अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। अतः संविदाकार से रायल्टी न वसूलने का नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा रायल्टी की सम्बन्धित स्रोत से वसूली करते हुए सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

कार्य मद सं०	कार्य मद नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	उपयोग पत्थरों की मात्रा (टनों में)	रायल्टी की दर प्रति टन (₹) में	देय राशि (₹) में
9	R R Masonary 1:6	25.86 Cum	25.86x1.37x2.32=82.19	40	3288

22 संविदाकार को ₹0.21 लाख का अनुचित लाभ पहुँचाना

Name of Work	C/O Police Barrack for 68 Personal at Dharmasala
Estimated Cost	₹24122253
Awarded Amt.	₹21821970 (Civil 35.87% above, WS & SI 43.93% above)
Award letter No.	Himuda DD/CB/W-5571 dated 3.12.15
Justification	Civil 42.47% above, WS & SI 81.35% above
Agreement No.	45 of 2015-16
Name of Contractor	Sh. Rakesh Rana
Measurements Books	1778, 1880
Vr.No.	157 dated (3 rd running bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितता पाई गई जिसका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

(क) कार्य स्थल पर लाए गए पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹0.21 लाख की रायल्टी की वसूली न करना

प्रधान सचिव उद्योग के पत्र संख्या II (एफ) 6-5/2006 दिनांक 16.1.12 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी, चूना पत्थर संगमरमर इत्यादि के खनन पर निर्धारित दरों अनुसार रायल्टी लगाई गई है। संविदाकार द्वारा वर्णित निर्माण कार्य में निम्न विवरणानुसार उपयोग किए गए पत्थरों के एवज में सरकार को अदा की गई रायल्टी के

समर्थन में विहित प्रपत्र "एम" प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था अन्यथा निर्माण कार्य बिलों से अनुदेशानुसार निर्धारित दर से रायल्टी की कटौती करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी परन्तु निर्माण मण्डल द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी अर्थात् न तो निर्माण कार्य बिलों से रायल्टी की कटौती ही की गई थी और न ही अंकेक्षण को वर्णित फार्म एम ही प्रस्तुत किए गए जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकार को परोक्ष रूप में अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। अतः संविदाकार से रायल्टी न वसूलने का नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा रायल्टी की सम्बन्धित स्रोत से वसूली करते हुए सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

कार्य सं०	कार्य मद् नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	उपयोग पत्थरों की मात्रा (टनों में)	रायल्टी की दर प्रति टन (₹) में	देय राशि (₹) में
13/15	R R Masonary 1:6	80.42Cum	80.42x1.37x2.32=255.62	40	10225
14/16	R R Masonary 1:6	86.31Cum	86.31x1.37x2.32=274.33	40	10973
Total					21198

23 संविदाकार को ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान

Name of Work	C/O GHS Chaneur Block Dadasiba
Estimated Cost	₹912714
Awarded Amt.	₹1198714 (31.33% above)
Award letter No.	Himuda DD/CB/W-7868-76 dated 31.3.17
Justification	35.10% above
Agreement No.	70 of 2016-17
Name of Contractor	Sh. Depesh Koundal
Measurements Books	1483, 1944
Vr.No.	176 dated 21.3.17 (1 st running bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल का अंकेक्षण करने के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिसका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

(क) स्टील का गलत फेक्टर लगाने के कारण संविदाकार को ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य में प्रोवाईडिंग टी0एम0टी0 स्टील रिइनफोर्समेंट के करवाए गए कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों का अंकेंक्षण करने पर पाया गया कि 8 एम0एम0 टी0एम0टी0 स्टील को रनिंग मीटर से किलोग्राम में बदलते समय प्रति मीटर 0.395 कि0ग्रा0 का फेक्टर लगाकर गणना की गई थी जबकि नियमानुसार गणना 0.39 कि0ग्रा0 प्रतिमीटर का फेक्टर लगाकर की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार संविदाकार को निम्न विवरणानुसार 26.41 किलोग्राम अधिक ली गई मात्रा हेतु अनुबन्धित दर ₹58 प्रति किलोग्राम की दर से ₹1532 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित की जाए:-

माप पुस्तिका	गणना जो की गई (0.395 फेक्टर से)	सही गणना (0.39 फेक्टर से)	अधिक गणना
1944 पृ-14	772.90x0.395=305.29 Kg	772.90x0.39=301.43 Kg	3.86 Kg
1944 पृ-20	690.58x0.395=272.77 Kg	690.58x0.39=269.33 Kg	3.44 Kg
1944 पृ-21	649x0.395=256.35 Kg	649x0.39=253.11 Kg	3.24 Kg
1944 पृ-25	666.66x0.395=263.33 Kg	666.66x0.39=260 Kg	3.33 Kg
1944 पृ-27	2508.80x0.395=990.97 Kg	2508.80x0.39=978.43 Kg	12.54 Kg
		कुल मात्रा	26.41 Kg

(ख) कार्य स्थल पर लाए गए पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹0.04 लाख की रायल्टी की वसूली न करना

प्रधान सचिव उद्योग के पत्र संख्या II (एफ) 6-5/2006 दिनांक 16.1.12 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी, चूना पत्थर संगमरमर इत्यादि के खनन पर निर्धारित दरों अनुसार रायल्टी लगाई गई है। ठेकेदार द्वारा वर्णित निर्माण कार्य में निम्न विवरणानुसार उपयोग किए गए पत्थरों के एवज में सरकार को अदा की गई रायल्टी के समर्थन में विहित प्रपत्र "एम" प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था अन्यथा निर्माण कार्य बिलों से अनुदेशानुसार निर्धारित दर से रायल्टी की कटौती करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी परन्तु निर्माण मण्डल द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी अर्थात् न तो निर्माण कार्य बिलों से रायल्टी की कटौती ही की गई थी और न ही अंकेंक्षण को वर्णित फार्म एम ही प्रस्तुत किए गए जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकार को परोक्ष रूप में अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। अतः ठेकेदार से रायल्टी न वसूलने का

नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा रायल्टी की सम्बन्धित स्रोत से वसूली करते हुए सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

कार्य सं०	कार्य मद नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	उपयोग पत्थरों की मात्रा (टनों में)	रायल्टी की दर प्रति टन (₹) में	देय राशि (₹) में
1	R R Masonary 1:6	29.06 Cum	29.06x1.37x2.32=92.36	40	3694

24 ठेकेदार को ₹0.02 लाख का अनियमित भुगतान

Name of Work	C/O GSSS Gharana
Estimated Cost	₹1288218
Awarded Amt.	₹1588643 (23.32% above)
Award letter No.	Himuda DD/CB/W-7-1874-81 dated 18.6.15
Justification	36.17% above
Agreement No.	9 of 2015-16
Name of Contractor	Sh. Mukesh Katoch
Measurements Books	1840
Vr.No.	193 dated 21.3.17 (3 rd & final bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितता पाई गई जिसका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

(क) स्टील का गलत फेक्टर लगाने के कारण संविदाकार को ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य में प्रोवाईडिंग टी0एम0टी0 स्टील रिइनफोर्समेन्ट के करवाए गए कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि 8 एम0एम0 टी0एम0टी0 स्टील को रनिंग मीटर से किलोग्राम में बदलते समय प्रति मीटर 0.395 कि0ग्रा0

का फेक्टर लगाकर गणना की गई थी जबकि नियमानुसार गणना 0.39 कि०ग्रा० प्रतिमीटर का फेक्टर लगाकर की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार संविदाकार को निम्न विवरणानुसार 26.89 किलोग्राम अधिक ली गई मात्रा हेतु अनुबन्धित दर ₹62 प्रति किलोग्राम की दर से ₹1667 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित की जाए:-

माप पुस्तिका	गणना जो की गई (0.395 फेक्टर से)	सही गणना (0.39 फेक्टर से)	अधिक गणना
1840 पृ-2	509.88x0.395=201.40 Kg	509.88x0.39=198.85 Kg	2.55 Kg
1840 पृ-5	1322.04x0.395=522.21 Kg	1322.04x0.39=515.60 Kg	6.61 Kg
1840 पृ-9	3066.60x0.395=1211.31 Kg	3066.60x0.39=1195.97 Kg	15.34 Kg
1840 पृ-15	161.40x0.395=63.75 Kg	161.40x0.39=62.95 Kg	0.80 Kg
1840 पृ-20	318.51x0.395=125.81Kg	318.51x0.39=124.22 Kg	1.59 Kg
	कुल मात्रा		26.89 Kg

25 संविदाकार को ₹0.14 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाना

Name of Work	C/O GHS Itchi Distt Kangra
Estimated Cost	₹1543856
Awarded Amt.	₹2117228.24 (% above)
Award letter No.	Himuda DD/CB/W-7-652-31 dated 20.1.16
Justification	40.47% above
Agreement No.	53 of 2015-16
Name of Contractor	Sh. Harbhajan Singh
Measurements Books	1888, 1764, 1633
Vr.No.	212 dated 27.3.17 (2 nd & final bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिसका यथोचित समाधान करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

(क) स्टील का गलत फेक्टर लगाने के कारण संविदाकार को ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य में प्रोवाईडिंग टी0एम0टी0 स्टील रिइनफोर्समेन्ट के करवाए गए कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि 8 एम0एम0टी0 स्टील को रनिंग मीटर से किलोग्राम में बदलते समय प्रति मीटर 0.395 कि0ग्रा0 का फेक्टर लगाकर गणना की गई थी जबकि नियमानुसार गणना 0.39 कि0ग्रा0 प्रतिमीटर का फेक्टर लगाकर की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार संविदाकार को निम्न विवरणानुसार 40.42 किलोग्राम अधिक ली गई मात्रा हेतु अनुबन्धित दर ₹64 प्रति किलोग्राम की दर से ₹2587 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित की जाए:-

माप पुस्तिका	गणना जो की गई (0.395 फेक्टर से)	सही गणना (0.39 फेक्टर से)	अधिक गणना
1633 पृ-68	2422.90x0.395=957.05 Kg	2422.90x0.39=944.93 Kg	12.12 Kg
1633 पृ-78	1202.35x0.395=474.93 Kg	1202.35x0.39=468.92 Kg	6.01 Kg
1888 पृ-6	3989.45x0.395=1575.81 Kg	3989.45x0.39=1555.89 Kg	19.92 Kg
1633 पृ-98	230.80x0.395=91.17 Kg	230.80x0.39=90.01 Kg	1.16Kg
1764 पृ-76	243.88x0.395=96.32 Kg	243.88x0.39=95.11 Kg	1.21 Kg
		कुल मात्रा	40.42 Kg

(ख) संविदाकार को ₹.05 लाख का अधिक भुगतान:-

(i) माप पुस्तिका संख्या 1888 पृष्ठ 36 में दर्ज मद संख्या 10/11 Brick work using 2nd class 1:6 की निष्पादित कार्य प्रमात्रा 7.55 वर्गमीटर को माप पुस्तिका संख्या 1633 पृष्ठ 85 में 7.83 वर्गमीटर अग्रेषित किया गया जोकि 0.28 वर्ग मीटर अधिक थी। इस अनियमितता के कारण संविदाकार को (7.83-7.55)=0.28 वर्गमीटर कार्य प्रमात्रा का ₹6300 प्रति वर्ग मीटर की दर से ₹1764 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी उचित स्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ii) माप पुस्तिका संख्या 1633 पृष्ठ 86 में मद संख्या 3/12 Brick Work using 2nd class common hurnt clay 1:6 in superstructure की निष्पादित कार्य प्रमात्रा योग 13.54 m³ बनता था जबकि माप पुस्तिका संख्या 1888 पृष्ठ 11 में कार्य प्रमात्रा 14.04 m³ ली गई थी जोकि 0.50m³ अधिक थी। अतः इस अनियमितता के कारण संविदाकार को (14.04-13.54)=0.50m³ कार्य प्रमात्रा का 63002 प्रति घन मी0 की दर से ₹3150 का अधिक भुगतान किया गया था। जिसकी उचित स्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ग) कार्य स्थल पर लाए गए पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹0.07 लाख की रायल्टी की वसूली न करना

प्रधान सचिव उद्योग के पत्र संख्या II (एफ) 6-5/2006 दिनांक 16.1.12 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी, चूना पत्थर संगमरमर इत्यादि के खनन पर निर्धारित दरों अनुसार रायल्टी लगाई गई है। संविदाकार द्वारा वर्णित निर्माण कार्य मे निम्न विवरणानुसार उपयोग किए गए पत्थरों के एवज में सरकार को अदा की गई रायल्टी के समर्थन में विहित प्रपत्र "एम" प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था अन्यथा निर्माण कार्य बिलों से अनुदेशानुसार निर्धारित दर से रायल्टी की कटौती करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी परन्तु निर्माण मण्डल द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी अर्थात् न तो निर्माण कार्य बिलों से रायल्टी की कटौती ही की गई थी और न ही अंकेक्षण को वर्णित फार्म एम ही प्रस्तुत किए गए जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकार को परोक्ष रूप में अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। अतः संविदाकार से रायल्टी न वसूलने का नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा रायल्टी की सम्बन्धित स्रोत से वसूली करते हुए सरकारी कोष मे जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

कार्य मद सं०	कार्य मद नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	उपयोग पत्थरों की मात्रा (टनों में)	रायल्टी की दर प्रति टन (₹) में	देय राशि (₹) में
13	R R Masonary 1:6	54.19 Cum	554.19x1.37x2.32=172.24	40	6890

26 संविदाकार को ₹0.29 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाना

Name of Work	C/O GSSS Barwala block Dharamshala
Estimated Cost	₹2959759
Awarded Amt.	₹3895510.55 (31.61% above)
Award letter No.	Himuda DD/CB/W-7-2014-2901-11 dated 24.07.15
Agreement No.	33 of 2015-16
Name of Contractor	Sh. Ravi Kumar
Measurements Books	1950, 1940, 1353, 1291
Vr.No.	219 dated 27.3.15 (6th running bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिसका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

(क) स्टील का गलत फेक्टर लगाने के कारण संविदाकार को ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य में प्रोवाईडिंग टी0एम0टी0 स्टील रिइनफोर्समेन्ट के करवाए गए कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि 8 एम0एम0 टी0एम0टी0 स्टील को रनिंग मीटर से किलोग्राम में बदलते समय प्रति मीटर 0.395 कि0ग्रा0 का फेक्टर लगाकर गणना की गई थी जबकि नियमानुसार गणना 0.39 कि0ग्रा0 प्रतिमीटर का फेक्टर लगाकर की जानी अपेक्षित थी। अतः इस प्रकार संविदाकार को निम्न विवरणानुसार 46.69 किलोग्राम अधिक ली गई मात्रा हेतु अनुबन्धित दर ₹61 प्रति किलोग्राम की दर से ₹3031 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित की जाए:-

माप पुस्तिका गणना जो की गई (0.395 सही गणना (0.39 फेक्टर से) अधिक गणना फेक्टर से)

1353 पृ-77	439.72x0.395=173.69 Kg	439.72x0.39=171.49 Kg	2.20 Kg
1353 पृ-80	1173.34x0.395=463.47 Kg	1173.34x0.39=457.60 Kg	5.87 Kg
1353 पृ-82	1172.63x0.395=463.19 Kg	1172.63x0.39=457.33 Kg	5.86 Kg
1353 पृ-87	3693.52x0.395=1458.94 Kg	3693.52x0.39=1440.47Kg	18.47 Kg
1353 पृ-99	153.49x0.395=60.33 Kg	153.49x0.39=59.86 Kg	0.77 Kg
1291 पृ-83	2752.58x0.395=1087.27 Kg	2752.58x0.39=1073.51 Kg	13.76 Kg
1291 पृ-87	245.46x0.395=96.96 Kg	245.46x0.39=95.73 Kg	1.23 Kg
1291 पृ-90	306.27x0.395=120.98 Kg	306.27x0.39=119.45 Kg	1.53 Kg
कुल मात्रा			49.69 Kg

(ख) मिट्टी की खुदाई से निकले ओरडीनरी क्वारिड स्टोन की भण्डार प्रविष्टि एम0ए0एस0 रजिस्टर में न लेने के फलस्वरूप ₹.21 लाख की वित्तीय हानि

उपरोक्त कार्य के निष्पादन के दौरान प्रथम चलत बिल तक अनुबन्धित मद संख्या 1 "कटिंग इन अर्थ वर्क" में 466.71 घन मीटर मिट्टी की खुदाई हेतु संविदाकार को ₹93342 का

भुगतान किया गया था। अंकेक्षण में पाया गया कि खुदाई में निकले पत्थरों की वसूली न तो संविदाकार से पत्थर जारी करके ही की गई थी और न ही पत्थरों को एम0ए0एस0 रजिस्टर में दर्ज ही किया गया था। मान्य सिद्धान्त के अनुसार मिट्टी की खुदाई का न्यूनतम 10 प्रतिशत भाग ओरडीनरी क्वारिड स्टोन के रूप में गणना में लिया जाना अपेक्षित था जबकि कुल मिट्टी की खुदाई 466.71 घन मीटर का 10 प्रतिशत भाग जो कि 46.67 घन मीटर बनता है, के बराबर पत्थरों के रूप में गणना में नहीं लिया गया था। अतः इस अनियमितता के कारण निर्माण मण्डल को निम्न विवरणानुसार ₹21515 हानि हुई है:-

HPSR 2009 के अनुसार ओरडीनरी क्वारिड स्टोन की निर्धारित दर ₹350 प्रतिघन मीटर ओवरआल प्रीमियम 31.61 % above

कुल दर प्रति घन मीटर $350 + 31.61\% \text{ above} = ₹461$ प्रति घन मीटर

इस प्रकार 46.67 घन मीटर पत्थरों का कुल मूल्य ₹21515 (46.67×461) की वित्तीय हानि का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा हानि की भरपाई उचित स्रोत से सुनिश्चित की जाएं

(ग) कार्य स्थल पर लाए गए पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹0.03 लाख की रायल्टी की वसूली न करना

प्रधान सचिव उद्योग के पत्र संख्या II (एफ) 6-5/2006 दिनांक 16.1.12 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी, चूना पत्थर संगमरमर इत्यादि के खनन पर निर्धारित दरों अनुसार रायल्टी लगाई गई है। संविदाकार द्वारा वर्णित निर्माण कार्य में निम्न विवरणानुसार उपयोग किए गए पत्थरों के एवज में सरकार को अदा की गई रायल्टी के समर्थन में विहित प्रपत्र "एम" प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था अन्यथा निर्माण कार्य बिलों से अनुदेशानुसार निर्धारित दर से रायल्टी की कटौती करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी परन्तु निर्माण मण्डल द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी अर्थात् न तो निर्माण कार्य बिलों से रायल्टी की कटौती ही की गई थी और न ही अंकेक्षण को वर्णित फार्म एम ही प्रस्तुत किए गए जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकार को परोक्ष रूप में अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। अतः संविदाकार से रायल्टी न वसूलने का नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा रायल्टी की सम्बन्धित स्रोत से वसूली करते हुए सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

कार्य मद सं०	कार्य मद नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	उपयोग पत्थरों की मात्रा (टनों में)	रायल्टी की दर प्रति टन (₹) में	देय राशि (₹) में
13/16	R R Masonary 1:6	15.24 cum	15.24x1.37x2.32=48.44	40	1938
14/18	Stone filling behind	6.30 cum	6.30x1.10x2.32=16.08	40	643
Total					2581

(घ) संविदाकार को ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान:-

(i) अंकेक्षण में पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 1353 पृष्ठ 77 में दर्ज 8 एमएम टोर स्टील की निर्माण कार्य में उपयोग 1264.89 कि०ग्रा० प्रमात्रा को पृष्ठ संख्या 82 में 1293.96 कि०ग्रा० अग्रेषित करके गणना में लिया गया था जोकि 29.07 कि०ग्रा० अधिक थी। अतः इस अनियमितता के कारण संविदाकार को $(1293.96 - 1264.89) = 29.07$ कि०ग्रा० का ₹61 प्रति किलोग्राम की दर से ₹1773 का अधिक भुगतान किया गया था जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक किए गए भुगतान की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित की जाए।

(ii) माप पुस्तिका संख्या 1940 पृष्ठ 28 में दर्ज मद संख्या 10/10 Applying cement slury on RCC slab की कार्य प्रमात्रा 230.40 वर्गमीटर को माप पुस्तिका संख्या 1950 पृष्ठ 6 में 234.15 वर्गमीटर अग्रेषित करके गणना में लिया गया था जोकि 3.75 वर्गमीटर अधिक थी। अतः इस अनियमितता के कारण संविदाकार को $(234.15 - 230.40) = 3.75$ वर्गमीटर का ₹20 प्रति वर्गमीटर की दर से ₹75 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित की जाए।

27 संविदाकार को ₹0.20 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाना

Name of Work	C/O Plolice Station at Fatehpur
Estimated Cost	₹20743158
Awarded Amt.	₹15856456 (Civil 13.79% above, WS & SI 13.67%)
Award letter No.	Himuda DD/CB/W-524 dated 27.4.16
Justification	Civil ₹1898006 WS & SI ₹651756
Agreement No.	1of 2016-17

Name of Contractor Sh. Suresh Gupta
Measurements Books 1902, 1306, 1906
Vr.No. 229 dated 28.3.17 (1st running bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिसका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

(क) कार्य स्थल पर लाए गए पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹0.20 लाख की रायल्टी की वसूली न करना

प्रधान सचिव उद्योग के पत्र संख्या II (एफ) 6-5/2006 दिनांक 16.1.12 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी, चूना पत्थर संगमरमर इत्यादि के खनन पर निर्धारित दरों अनुसार रायल्टी लगाई गई है। संविदाकार द्वारा वर्णित निर्माण कार्य मे निम्न विवरणानुसार उपयोग किए गए पत्थरों के एवज में सरकार को अदा की गई रायल्टी के समर्थन में विहित प्रपत्र "एम" प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था अन्यथा निर्माण कार्य बिलों से अनुदेशानुसार निर्धारित दर से रायल्टी की कटौती करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी परन्तु निर्माण मण्डल द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी अर्थात न तो निर्माण कार्य बिलों से रायल्टी की कटौती ही की गई थी और न ही अंकेक्षण को वर्णित फार्म एम ही प्रस्तुत किए गए जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकार को परोक्ष रूप में ₹20342 का अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। अतः संविदाकार से रायल्टी न वसूलने का नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा रायल्टी की सम्बन्धित स्रोत से वसूली करते हुए सरकारी कोष मे जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

कार्य मद सं०	कार्य मद नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	उपयोग पत्थरों की मात्रा (टनों में)	रायल्टी की दर प्रति टन (₹) में	देय राशि (₹) में
15	R R Masonary 1:6	160 cum	160x1.37x2.32=508.54	40	20342

28	Name of Work	C/O Transit Accomodation (i/c ES & SI) at Rakar, Dharamsala
	Estimated Cost	₹12982635
	Awarded Amt.	₹17000000
	Award letter No.	Himuda DD/CB/W-7/2016-636-49 dated 3-5-16
	Justification	27.25% above
	Agreement No.	2 of 2016-17
	Name of Contractor	M/S Synergy Trisligton Pvt.Ltd.Chandigarh
	Measurements Books	1906

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिसका यथोचित समाधान करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:—

(i) उक्त कार्य के 2nd, 3rd, 4th & 5th चलत बिलों को पारित करने के उपरान्त क्रमशः ₹2195522, ₹3129903, ₹1140083 व ₹1042281 की राशियों को कुछ समय तक ठेकेदार फर्म को भुगतान न करके रोक कर रखा गया था जिससे प्रतीत होता है कि ठेकेदार फर्म द्वारा सन्तोषजनक कार्य नहीं किया गया था। अतः वर्णित राशियों को रोक कर रखने व बाद में भुगतान करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ii) उक्त निर्माण कार्य में प्रयोग किए गए सीमेंट व स्टील की चलत बिल क्रमानुसार खपत विवरणियाँ बिलों के साथ संलग्न नहीं की गई थी जिसके अभाव में सीमेंट व स्टील की चलत बिल क्रमानुसार खपत का सत्यापन अंकेक्षण में सम्भव न हो सका। अतः निर्माण कार्य की सीमेंट व स्टील की खपत विवरणियों चलत बिल क्रमानुसार तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

29 स्टॉक/स्टोर से सम्बन्धित अनियमितताएं:—

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया कि उप मण्डल धर्मशाला में दिनांक 25.3.17 को जी0आर0 संख्या 1709 द्वारा बिन कार्ड संख्या 413 में 20 एमएम का 0.635 एमटी स्टील प्राप्त किया गया था तथा बिन कार्ड में गत शेष 1.462 एमटी में जमा करने पर अन्त शेष 0.827 एमटी दर्शाया गया जबकि वास्तव में अन्तशेष 2.097 एमटी होना चाहिए था। इस प्रकार 1.27 क्विंटल मात्रा

स्टॉक में गणना में कम ली गई जिस का मूल्य ₹6410 (1.27x5047) था। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की उचित स्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ii) अंकेक्षण में पाया कि उप मण्डल में दिनांक 2.11.16 को इंडेंट संख्या 1942 द्वारा बिन कार्ड संख्या 301 में सीमेंट के 180 बैग निर्माण कार्य हेतु जारी किए गए थे तथा बिन कार्ड में गत शेष 1082 बैग से घटाकर अन्त शेष 982 बैग दर्शाया गया जबकि वास्तव में अन्तशेष 902 बैग होना चाहिए था। इस प्रकार 80 बैग स्टॉक में अधिक गणना में लिए गए थे। जिस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन उपरान्त वस्तुस्थिति पता लगाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

(iii) अंकेक्षण में पाया कि उप मण्डल धर्मशाला में दिनांक 9.1.17 को इंडेंट संख्या 2018 द्वारा बिन कार्ड संख्या 303 में सीमेंट की 200 बैग निर्माण कार्य हेतु जारी किए गए थे तथा बिन कार्ड में गत शेष 3013 बैग से घटा कर अन्तशेष 2818 बैग दर्शाया गया जबकि वास्तव में अन्तशेष 2813 बैग होना चाहिए था। इस प्रकार 5 बैग स्टॉक में अधिक गणना में लिए गए जिस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन उपरान्त वस्तुस्थिति पता लगाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

(iv) अंकेक्षण में पाया कि उप मण्डल धर्मशाला में दिनांक 16.2.17 को इंडेंट संख्या 1976 द्वारा बिन कार्ड संख्या 303 में सीमेंट की 220 बैग निर्माण कार्य हेतु जारी किए गए थे तथा बिन कार्ड में गत शेष 1972 बैग से घटा कर अन्तशेष 1772 बैग दर्शाया गया जबकि वास्तव में अन्तशेष 1752 बैग होना चाहिए था। इस प्रकार 20 बैग स्टॉक में अधिक गणना में लिए गए थे जिस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन उपरान्त वस्तुस्थिति पता लगाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

(v) अंकेक्षण में पाया कि उप मण्डल धर्मशाला में दिनांक 28.6.16 को इंडेंट संख्या 3043 द्वारा बिन कार्ड संख्या 409 में की 12 एमए का 0.500 एमटी स्टील निर्माण कार्य हेतु जारी किया गया था तथा बिन कार्ड में गत शेष 6.260 एमटी0 घटाने पर अन्तशेष 6.160 एमटी0 दर्शाया गया जबकि वास्तव में अन्तशेष 5.760 एमटी0 होना चाहिए था। इस प्रकार 0.400 एमटी0 स्टील की मात्रा स्टॉक में अधिक गणना में ली गई थी जिस सम्बन्ध में पूर्ण

छानबीन उपरान्त वस्तुस्थिति पता लगाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

30 निर्माण कार्य के अन्तिम बिलों की बकाया राशि का ठेकेदारों को भुगतान न करना:—

अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि हिमुडा मण्डल द्वारा विभिन्न डिपोजिट निर्माण कार्यों को पूर्ण करके सम्बन्धित विभागों को सौंप दिया गया था किन्तु इन निर्माण कार्यों के अन्तिम बिलों में लम्बित राशि का भुगतान ठेकेदारों को नहीं किया गया था। हिमुडा मण्डल द्वारा परिशिष्ट "च" में उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न उप मण्डलों के लगभग 77 कार्यों के ऐसे अन्तिम बिल मण्डल के पास भुगतान हेतु लम्बित थे। अतः वर्णित बिलों का भुगतान न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इनका अतिशीघ्र निपटारा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

31 श्री अरविंद कुमार क्लर्क (on contract basis) को गलत वार्षिक वृद्धि प्रदान करने के कारण ₹412 का अधिक भुगतान

हिमुडा मण्डल के कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री अरविंद कुमार, क्लर्क (Contract basis) को 24.1.15 को ₹7810 प्रतिमाह पर नियुक्त किया गया था तथा एक वर्ष पूरा करने पर उन्हें वार्षिक वृद्धि में नियमानुसार गणना में त्रुटि के कारण देय दर से अधिक दर पर स्वीकृत करने के कारण निम्न प्रकर से ₹412 का अधिक भुगतान किया गया था। अतः अधिक किए गए भुगतान का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:—

Period	Pay Drawn(₹)	Pay Due(₹)	Diff. (₹)	month(₹)	Excess Paid (₹)
24.1.16 to 23.1.17	8050	8044	6	12	72
24.1.17 to 23.1.18	8300	8278	22	12	264
24.1.18 to 23.2.18	8550	8512	38	2	76
Total					412

32 कर्मचारियों को ₹3772 के यात्रा भत्ता दावों का अधिक भुगतान करना

वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या Fin (C)b(7)-1/22009dated 19.06.12 के पैरा 4 (5) के अनुसार यात्रा के दौरान व्यतीत किए गए समय के लिए साधारण

दर पर दैनिक भत्ता देय होता है जबकि चयनित माह के विभिन्न वाउचरों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया कि मण्डल के विभिन्न कर्मचारियों को उक्त वर्णित नियम के प्रावधानों के विपरीत यात्रा के दौरान व्यतीत किए गए समय हेतु साधारण दर की अपेक्षा ठहराय हेतु देय दैनिक भत्ते की दर से भुगतान किया गया था। जिसके कारण निम्न विवरणानुसार यात्रा भत्ता दावों में ₹3772 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	वा०सं०	यात्रा भत्ता दावे की अवधि	भुगतान की गई राशि (₹)	नियम के अनुसार देय राशि	अधिक भुगतान की गई राशि
1	श्री एच०एल० धीमान (सहायक अभियन्ता)	92 दिनांक 9. 3.17	6 / 16	4814	4522	292
2	—यथोपरि—	—यथोपरि—	7 / 16	3040	2761	279
3	श्री विरेन्द्र शर्मा (सहायक अभियन्ता)	—यथोपरि—	11 / 16	5924	5180	744
4	—यथोपरि—	—यथोपरि—	12 / 16	6338	5532	806
5	श्री प्रीतम सिंह (सहायक अभियन्ता)	—यथोपरि—	11 / 16	3820	3455	365
6	—यथोपरि—	—यथोपरि—	12 / 16	6784	6138	646
7	श्री जोगिन्द्र सिंह (कनिष्ठ अभियन्ता)	—यथोपरि—	05 / 16	640	536	104
8	श्री अरविन्द कुमार (लिपिक)	—यथोपरि—	03 / 17	390	253	137
9	श्री अजय कुमार (बेलदार)	—यथोपरि—	12 / 16	1952	1672	280
10	—यथोपरि—	—यथोपरि—	01 / 17	488	418	70
11	श्री सुरिन्द्र कुमार (बेलदार)	168 दिनांक 21.3.17	02 / 17	260	211	49

कुल योग ₹3772

उपरोक्त के अतिरिक्त चयनित माह के अलावा अन्य मासों में भी इस प्रकार के किए गए अनियमित भुगतान की गणना निर्माण मण्डल अपने स्तर पर करके सम्बन्धित से भी वसूली करना सुनिश्चित करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

33 मण्डल के वाहन संख्या एच0पी0-07 सी-2647 की लॉग बुक में 15 लीटर डीजल की कम मात्रा लेने बारे

उक्त वाहन की लॉग बुक का अंकेक्षण करने के दौरान पाया कि वर्ष 2016-17 के माह 11/16 में डीजल का अन्तिम शेष 50 लीटर था व आगामी माह 12/2016 में 250 लीटर (55+55+45+50) की मात्रा गाड़ी में भरवाई गई थी तथा गाड़ी की औसत की गणना करते समय माह में डीजल की खपत 248 लीटर दर्शाई गई थी इस प्रकार माह में डीजल का अन्तिम शेष 52 लीटर होना चाहिए था। (250+50-248=52) जबकि माह 01/17 में 37 लीटर डीजल अग्रेनीत किया गया था इस अनियमितता के कारण से मण्डल को 15 लीटर डीजल के रूप में हानि हुई है जिसका वर्तमान मूल्य लगभग ₹1000 है जिसकी भरपाई अब उचित स्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

34 चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों ₹248 का अनुचित भुगतान

वाउचर संख्या 92 दिनांक 9.3.17 द्वारा ₹428 का भुगतान श्री माधो राम, वरिष्ठ सहायक को उनके पुत्र व पुत्री द्वारा चमेरा प्रोजेक्ट हॉस्पिटल, जिला चम्बा में करवाये गये उपचार हेतु किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में किया गया था किन्तु उसमें से ₹248 कुछ दवाईयां निम्न विवरणानुसार Medical attendance rule के अन्तर्गत देय नहीं थी जिसकी वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	आश्रित का नाम	दवाईयाँ जो देय नहीं थी व उनकी कीमत	भुगतान की गई राशि	नियम के अनुसार भुगतान	अधिक भुगतान की गई राशि
1	संदीपना	Scabius lotion 71	227	103	124
		DAT soap 53	-	-	-
2	सुरक्षा	Scabius lotion 71	227	103	124
		DAT Soap 53	-	-	-
कुल अधिक भुगतान					248

उपरोक्त के अतिरिक्त चयनित माह के अलावा अन्य मासों में भी इस प्रकार के अनियमित भुगतान की गणना निर्माण मण्डल अपने स्तर पर करके सम्बन्धित से वसूलियां करना सुनिश्चित करें।

35 हिमुडा कर्मचारियों को जिला स्तर का मकान किराया भत्ता प्रदान करने सम्बन्धी अनियमितता

हिमुडा मण्डल धर्मशाला के वेतन से सम्बन्धित अभिलेख का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि वर्ष 2014-15 में हिमुडा मण्डल का कार्यालय धर्मशाला से रकड़ स्थानान्तरित किया गया था जोकि धर्मशाला नगर निगम के अधिसूचित क्षेत्र से बाहर स्थित है। परिणामतः हिमुडा मण्डल में तैनात कर्मचारियों को ब्लॉक स्तर का मकान किराया देय बनता था जबकि उन्हें जिला मुख्यालय स्तर का मकान किराया भत्ता दिया जा रहा था जोकि अनियमित है। अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनियमित भुगतान की उचित स्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए।

- 36 **लघु आपति विवरणी :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया।
- 37 **निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की आवश्यकता के अतिरिक्त गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लम्बित पैरों पर उचित कार्यवाही करने के उपरान्त शीघ्र अतिशीघ्र निर्णीत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

हस्ता/-
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:-फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)119/88-खण्ड-19-5715-5717
दिनांक-01.09.2018 शिमला-09,
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत**
- 1 अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्यवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2
 - 3 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम बिहार शिमला-171002

हस्ता/-
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं० 0177-2620881

परिशिष्ट “क” अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 1(ग) में सन्दर्भित है।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90

1	पैरा 5 (5)	अनिर्णीत
---	------------	----------

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004

1	पैरा 8	अनिर्णीत
---	--------	----------

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1	पैरा 13 (2)	अनिर्णीत
---	-------------	----------

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा 8(1)(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 8(1)(बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 8(1)(सी)	अनिर्णीत
4	पैरा 8(2)	अनिर्णीत
5	पैरा 8(3)	अनिर्णीत
6	पैरा 12	अनिर्णीत
7	पैरा 15	अनिर्णीत
8	पैरा 18	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा 11(1)(1से 4)	अनिर्णीत
2	पैरा 11(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 11(3)	अनिर्णीत
4	पैरा 11(4)	अनिर्णीत
5	पैरा 11(5)	अनिर्णीत

6	पैरा 11(6)	अनिर्णीत
7	पैरा 11(7)	अनिर्णीत
8	पैरा 12(क)	अनिर्णीत
9	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत
10	पैरा 13(क)	अनिर्णीत
11	पैरा 13(ख)	अनिर्णीत
12	पैरा 14(2)	अनिर्णीत
13	पैरा 15(1)	अनिर्णीत
14	पैरा 15(2)	अनिर्णीत
15	पैरा 15(3)	अनिर्णीत
16	पैरा 15(4)	अनिर्णीत
17	पैरा 16(1)	अनिर्णीत
18	पैरा 16(3)	अनिर्णीत
19	पैरा 17(1)	अनिर्णीत
20	पैरा 17(5)	अनिर्णीत

(च) (i) एस0डी0ए0 उपमण्डल धर्मशाला का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1996–97

1	पैरा-72 (बी व सी)	अनिर्णीत
2	पैरा-73 (ख व ग)	अनिर्णीत
3	पैरा-74	अनिर्णीत
4	पैरा-75	अनिर्णीत
5	पैरा-76	अनिर्णीत
6	पैरा-77 (क व ख)	अनिर्णीत
7	पैरा-78	अनिर्णीत

8	पैरा-79	अनिर्णीत
9	पैरा-80	अनिर्णीत
10	पैरा-81	अनिर्णीत
11	पैरा-82	अनिर्णीत

(ii) अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 4/97 से 3/98

1	पैरा-15(फ, व भ, म, त, झ, ज)	अनिर्णीत
2	पैरा-33 (ख, ड, च, ज, झ,ज)	अनिर्णीत
3	पैरा-34 (क, घ, ठ)	अनिर्णीत
4	पैरा-35 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
5	पैरा-36(क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत
6	पैरा-37 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
7	पैरा-38	अनिर्णीत
8	पैरा-39	अनिर्णीत
9	पैरा-40	अनिर्णीत
10	पैरा-41 (क, ख)	अनिर्णीत
11	पैरा-42	अनिर्णीत
12	पैरा-43	अनिर्णीत
13	पैरा-44	अनिर्णीत
14	पैरा-45 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
15	पैरा-46(क, ख)	अनिर्णीत
16	पैरा-47	अनिर्णीत
17	पैरा-48	अनिर्णीत
18	पैरा-49(क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत

19	पैरा-50	अनिर्णीत
20	पैरा-51	अनिर्णीत
21	पैरा-52	अनिर्णीत
22	पैरा-53	अनिर्णीत
23	पैरा-54	अनिर्णीत
24	पैरा-55	अनिर्णीत

(iii) अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 4/98 से 3/99

1	पैरा-27	अनिर्णीत
2	पैरा-29	अनिर्णीत
3	पैरा-31	अनिर्णीत

(vi) अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 4/99 से 3/2001

1	पैरा-54	अनिर्णीत
2	पैरा-55	अनिर्णीत
3	पैरा-56	अनिर्णीत
4	पैरा-57	अनिर्णीत
5	पैरा-58	अनिर्णीत
6	पैरा-59	अनिर्णीत
7	पैरा-60	अनिर्णीत
8	पैरा-61	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा 10(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 10(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 10(ग)	अनिर्णीत

4	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 12(ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 15	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा 4(ii)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत
5	पैरा 12	अनिर्णीत
6	पैरा 13	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा-4	अनिर्णीत
2	पैरा-7	अनिर्णीत
3	पैरा-8	अनिर्णीत
4	पैरा-9	अनिर्णीत
5	पैरा-11 (क)	अनिर्णीत
6	पैरा-11 (ग)	अनिर्णीत
7	पैरा-12 (क)	अनिर्णीत
8	पैरा-13 (ग)	अनिर्णीत
9	पैरा-15	अनिर्णीत
10	पैरा-16	अनिर्णीत
11	पैरा-26	अनिर्णीत
12	पैरा-27 (क) (1)	अनिर्णीत

13	पैरा-27 (क) (2)	अनिर्णीत
14	पैरा-27 (क) (3)	अनिर्णीत
15	पैरा-27 (क) (4)	अनिर्णीत
16	पैरा-28 (ii)	निर्णीत (₹13804 की वसूली माह 04/17 के वेतन से वाउचर संख्या 01 ऑफ 05/17 द्वारा कर ली गई थी। अतः पैरे का समायोजन कर दिया गया)
17	पैरा-29	अनिर्णीत
18	पैरा-30	अनिर्णीत
19	पैरा-32	अनिर्णीत
20	पैरा-33	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा-7	अनिर्णीत
2	पैरा-9	अनिर्णीत
3	पैरा-11	अनिर्णीत
4	पैरा-13	अनिर्णीत
5	पैरा-15	अनिर्णीत
6	पैरा-16	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा-5 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा-9 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा-9 (ख)	अनिर्णीत

4	पैरा-10 (क)	अनिर्णीत	
5	पैरा-10 (घ)	अनिर्णीत	
6	पैरा-10 (च)	अनिर्णीत	
7	पैरा-10 (छ)	अनिर्णीत	
8	पैरा-10 (ज)	अनिर्णीत	
9	पैरा-11 (क)	निर्णीत	(₹217930 की वसूली ठेकेदार से वाउचर संख्या 5, 45, 58, 59 द्वारा करके रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 1, 37, 73, 130 में प्रविष्टि कर ली गई। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)
10	पैरा-13 (क)	निर्णीत	(₹53975 की रिकवरी में से ₹20886 की वसूली संविदाकार से वाउचर संख्या 110 दिनांक 17.4.17 219 दिनांक 25.5.17 द्वारा करके रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 10 व 43 पर दर्ज कर ली गई है। अतः पैरे का समायोजन कर दिया गया)
11	पैरा-13 (ख)	निर्णीत	
12	पैरा-13 (ग)	निर्णीत	
13	पैरा-13 (घ)	निर्णीत	
14	पैरा-13 (ङ)	अनिर्णीत	
15	पैरा-13 (च)	निर्णीत	(पैरा 13 (क, ख, ग व घ) के साथ वसूली कर ली गई। अतः पैरे का समायोजन कर दिया गया)
16	पैरा-14	अनिर्णीत	
17	पैरा-15 (क)	अनिर्णीत	
18	पैरा-15 (ख)	अनिर्णीत	
19	पैरा-15 (ग)	अनिर्णीत	

20	पैरा-15 (घ)	अनिर्णीत
21	पैरा-16 (क)	अनिर्णीत
22	पैरा-16 (ख)	अनिर्णीत
23	पैरा-16 (ग)	अनिर्णीत
24	पैरा-18	अनिर्णीत
25	पैरा-19	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2012 से 03/2013

1	पैरा-7 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा-7 (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा-7 (घ)	अनिर्णीत
4	पैरा-8 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा-8 (घ)	अनिर्णीत
6	पैरा-9 (क)	अनिर्णीत
7	पैरा-9 (ख)	अनिर्णीत
8	पैरा-9 (ग)	अनिर्णीत
9	पैरा-9 (घ)	अनिर्णीत
10	पैरा-9 (छ)	अनिर्णीत
11	पैरा-9 (ज)	अनिर्णीत
12	पैरा-10 (क)	अनिर्णीत

13	પૈરા-10 (ખ)	અનિર્ણીત
14	પૈરા-11 (ક)	અનિર્ણીત
15	પૈરા-11 (ખ)	અનિર્ણીત
16	પૈરા-12	અનિર્ણીત
17	પૈરા-13 (ક)	અનિર્ણીત
18	પૈરા-13 (ખ)	અનિર્ણીત
19	પૈરા-13 (ગ)	અનિર્ણીત
20	પૈરા-13 (ઘ)	અનિર્ણીત
21	પૈરા-14 (ખ)	અનિર્ણીત
22	પૈરા-14 (ગ)	અનિર્ણીત
23	પૈરા-14 (ઘ)	અનિર્ણીત
24	પૈરા-14 (ઙ)	અનિર્ણીત
25	પૈરા-16 (ક)	અનિર્ણીત
26	પૈરા-16 (ખ)	અનિર્ણીત
27	પૈરા-18	અનિર્ણીત
28	પૈરા-20	અનિર્ણીત
29	પૈરા-23	અનિર્ણીત
30	પૈરા-24	આંશિક નિર્ણીત
31	પૈરા-27	અનિર્ણીત

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2014

1	पैरा-5 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा-7 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा-8 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा-9 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा-9 (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा-9 (घ)	अनिर्णीत
7	पैरा-9 (ङ)	अनिर्णीत
8	पैरा-11 (क)	अनिर्णीत
9	पैरा-11 (ख)	अनिर्णीत
10	पैरा-11 (घ)	अनिर्णीत
11	पैरा-11 (ङ)	अनिर्णीत
12	पैरा-12 (क)	अनिर्णीत
13	पैरा-12 (ख)	अनिर्णीत
14	पैरा-14 (क)	अनिर्णीत
15	पैरा-15 (क)	अनिर्णीत
16	पैरा-16 (क)	अनिर्णीत
17	पैरा-17 (क)	अनिर्णीत
18	पैरा-17 (ख)	अनिर्णीत
19	पैरा-19	अनिर्णीत
20	पैरा-21	अनिर्णीत
21	पैरा-26	अनिर्णीत

(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2015

1	पैरा-5.3	अनिर्णीत
---	----------	----------

2	पैरा-8.1	अनिर्णीत
3	पैरा-8.2	अनिर्णीत
4	पैरा-8.3	अनिर्णीत
5	पैरा-9	अनिर्णीत
6	पैरा-9.1	अनिर्णीत
7	पैरा-10.1	अनिर्णीत
8	पैरा-11	अनिर्णीत
9	पैरा-11.1	अनिर्णीत
10	पैरा-12.1	अनिर्णीत
11	पैरा-13.1	अनिर्णीत
12	पैरा-21	अनिर्णीत

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2015 से 03/2016

1	पैरा-4 (ख)	निर्णीत	
2	पैरा-5 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/16 से 3/17 में दी गई है)
3	पैरा-5 (ख)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/16 से 3/17 में दी गई है)
4	पैरा-6	अनिर्णीत	
5	पैरा-7 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/16 से 3/17 में दी गई है)
6	पैरा-7 (ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा-7 (ग)	अनिर्णीत	
8	पैरा-7 (घ)	अनिर्णीत	
9	पैरा-7 (ङ)	अनिर्णीत	
10	पैरा-7 (च)	अनिर्णीत	
11	पैरा-8 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/16 से 3/17 में दी गई है)

12	पैरा-8 (ख)	अनिर्णीत	
13	पैरा-8 (ग)	अनिर्णीत	
14	पैरा-8 (घ)	अनिर्णीत	
15	पैरा-8 (ङ)	अनिर्णीत	
16	पैरा-9 (क)	अनिर्णीत	
17	पैरा-9 (क i)	निर्णीत	(₹390 की वसूली संविदाकार से वा0सं0 59, दिनांक 10.2.17 द्वारा करके रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 81 व 82 में दर्ज कर ली गई है। अतः पैरे का समायोजन कर दिया गया)
18	पैरा-9 (ख)	अनिर्णीत	
19	पैरा-10	अनिर्णीत	
20	पैरा-11 (1)	निर्णीत	(₹7703 की वसूली संविदाकार से समायोजित वा0सं0 4, 3.2.18 द्वारा करके जे0ई0 पृष्ठ संख्या 171, 3/2018 में दर्ज कर ली गई है। अतः पैरे का समायोजन कर दिया गया)
21	पैरा-11 (2)	निर्णीत	
22	पैरा-12 (क)	निर्णीत	(₹14694 की वसूली संविदाकार से समायोजित वा0सं0 175, 27.2.18 द्वारा करके रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 207, दिनांक 27.2.18 में दर्ज कर ली गई है। अतः पैरे का समायोजन कर दिया गया)
23	पैरा-13 (क)	निर्णीत	(₹18897 की वसूली संविदाकार से समायोजित वा0सं0 2, 3.2.18 द्वारा करके जे0ई0 पृष्ठ संख्या 170, 3/2018 में दर्ज कर ली गई है। अतः पैरे का समायोजन कर दिया गया)
24	पैरा-14 (क) व (ख)	निर्णीत	(₹16207 की वसूली संविदाकार से 3 rd Running & final bill C/O GSSS Kaned M.B. संख्या 1411 P-60 द्वारा करके 3/18 में दर्ज कर ली गई है। अतः पैरे का समायोजन कर

दिया गया)

25	पैरा-14 (ग)	अनिर्णीत	
26	पैरा-15 (क)	अनिर्णीत	
27	पैरा-15 (ख)	निर्णीत	(₹5394 की वसूली 3 rd R.bill में से MB संख्या 1327 पृष्ठ संख्या 186 माह 2/2018 के दौरान कर ली गई है। अतः पैरे का समायोजन कर दिया गया)
28	पैरा-16 (क, ख)	अनिर्णीत	
29	पैरा-17 (क)	अनिर्णीत	
30	पैरा-18 (क)	निर्णीत	(₹861 की वसूली 1 st R.bill से वाउचर संख्या 83, 26.12.17 रोकड़ बही पृ0-165 दिनांक 26.12.17 द्वारा कर ली गई है। अतः पैरे का समायोजन कर दिया गया)
31	पैरा-19 (क, ख, ग, घ)	निर्णीत	(अभिलेख की जाँच उपरान्त व ₹38000 की वसूली 3 rd R. & Final bill से वाउचर संख्या 79, 26.12.17 रोकड़ बही पृ0-165 दिनांक 26.12.17 द्वारा कर ली गई है। अतः पैरे का समायोजन कर दिया गया)
32	पैरा-20 (क)	निर्णीत	(₹73043 की वसूली संविदाकार से समायोजित वाउचर संख्या 3, 3/18 द्वारा करके जे0ई0 पृ0सं0 170 3/2018 में दर्ज कर ली गई है अतः पैरे का समायोजन कर दिया गया)
33	पैरा-21 (क, ख)	अनिर्णीत	
34	पैरा-22 (क, ख)	निर्णीत	(₹52732 की वसूली 4 th & Final Bill से वाउचर संख्या 68, दिनांक 10.10.17 रोकड़ बही पृ0-131 दिनांक 10.10.17 द्वारा कर ली गई है। अतः पैरे का समायोजन कर दिया गया)
35	पैरा-23 (क)	निर्णीत	(₹26400+1225=27625 की वसूली संविदाकार

36	पैरा-23 (ख)	निर्णीत	से 2 nd Running bill C/O GSSS Sidhpur Sarkari MB संख्या 1995, पृष्ठ 68 द्वारा करके 3/2018 में दर्ज कर ली गई है। अतः पैरे का समायोजन कर दिया गया)
37	पैरा-24 (क)	अनिर्णीत	
38	पैरा-24 (ख)	निर्णीत	(₹6255 की वसूली संविदाकार से समायोजित वा0सं0 1, 3.2.18 द्वारा करके जे0ई0 पृ0सं0 170, 3/18 में दर्ज कर ली गई है। अतः पेरे का समायोजन कर दिया गया)
39	पैरा-25	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/16 से 3/17 में दी गई है)
40	पैरा-26	अनिर्णीत	
41	पैरा-27	अनिर्णीत	
42	पैरा-28	अनिर्णीत	
43	पैरा-29	निर्णीत	(अभिलेख के अवलोकन व सत्यापना उपरान्त पैरे का समायोजन किया)
44	पैरा-30	निर्णीत	(अभिलेख के अवलोकन व सत्यापना उपरान्त पैरे का समायोजन किया)
45	पैरा-31	अनिर्णीत	
46	पैरा-32	निर्णीत	(अभिलेख के अवलोकन व सत्यापना उपरान्त पैरे का समायोजन किया)
47	पैरा-32	अनिर्णीत	